भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 199

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

बीड़ी श्रमिकों के लिए एकीकृत आवास योजना

199. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्रयुत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी श्रमिकों के लिए एकीकृत आवास योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त योजना को लागू करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत बीड़ी श्रमिकों के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने आवास निर्मित किए गए और उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के तहत राज्य और वर्ष-वार कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक बीड़ी श्रमिक परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): संशोधित एकीकृत आवास योजना (आर. आई. एच. एस.), 2007 बीडी/ लौह अयस्क खानों, मैंगनीज अयस्क खानों एवं क्रोम अयस्क खानों (आईओएमसी) और चूना पत्थर अयस्क खानों, डोलोमाइट अयस्क खानों (एलएसडीएम), माइका अयस्क खानों के कामगारों के मकान के निर्माण के लिए कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, एक मकान के निर्माण के लिए जमीन का माप 60 वर्ग गज से कम न होने पर 40,000/- रुपये की दर से सब्सिडी का भुगतान 20,000/- रुपये की दो किश्तों में किया गया था। निर्मित मकान के कुर्सी का क्षेत्रफल 160 वर्ग फुट होना चाहिये तथा निर्माण 18 महीनों की अवधि के भीतर ही पूरा

किया जाना चाहिए। कामगार को अपने अंशदान के रूप में कल्याण आयुक्त को 5000/- रुपये का एफडीआर जमा कराने की आवश्यकता है, जो उसको सब्सिडी की दूसरी किश्त सहित वापिस कर दिया जाएगा।

बाद में इसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया। संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस), 2016 के अनुसार, 1,50,000/- रुपये की सब्सिडी (प्रति लाभार्थी) 25:60:15 के अनुपात में तीन (3) किश्तों में क्रमश: (37,500 रुपये, 90,000 रुपये तथा 22,500 रुपये) बीड़ी / लौह अयस्क खानों, मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क खानों (आईओएमसी) / चूना पत्थर खानों, डोलोमाइट खानों (एलएसडीएम)/ माइका खानों तथा सिने कामगारों को अपने पक्के मकान के निर्माण के लिए प्रदान की गई।

" श्रम कल्याण योजना " के मूल्यांकन और निरंतरता के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.05.2018 को सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां यह तय किया गया था कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के साथ आवास योजना के अभिसरण की संभावनाओं का पता लगाएगी। समीति द्वारा एक समय सीमा निर्धारित करने और एक परिवर्तनशील योजना तैयार करने जिसमें आरआईएचएस के तहत सभी नई स्वीकृतियां रोक दी जाए तथा आवासीय सब्सिडी पीएमएवाई से दिए जाने का सुझाव दिया गया था। तद्नुसार सभी कल्याण आयुक्तों को सभी लंबित आवेदन संबंधित ब्लॉक/ यूएलबीस को पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश दिया गया। आरआईएचएस, 2016 के तहत अब कोई नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगें।

(ख): योजना का कार्यान्वयन देशभर में किया गया है।

(ग): अनुबंध-I पर रखा गया है।

(घ): अनुबंध-II पर रखा गया है।

(ड़): संशोधित एकीकृत आवासीय योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ अभिसरित की गई है। योग्य बीडी कामगार पीएमएवाई के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

**   ******

अनुबंध-I

बीड़ी श्रमिकों के लिए एकीकृत आवास योजना के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: श्री बिद्रयुत बरन महतो: श्री सुधीर गुप्ता द्वारा दिनांक 14/9/2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.199 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान योजना के तहत बीडी कामगारों के लिए राज्य/संघ - वार निर्मित मकानों की संख्या निम्नलिखित है:-

राज्य	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (अगस्त, 2020 तक)**
इलाहाबाद	298	280	शून्य	शून्य
अहमदाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अजमेर	704	692	409	शून्य
बैंगलोर	5	223	69	3
भुवनेश्वर	2469	1342	382	256
हैदराबाद	11	234	91	27
जबलपुर	3	1693	384	शून्य
नागपुर	3458	1236	879	शून्य
रांची	43	785	311	शून्य
पटना	शून्य	111	81	शून्य
रायपुर	32	73	70	शून्य
देहरादून	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोलकाता	6211	2942	शून्य	शून्य
गुवाहाटी	शून्य	614	359	शून्य
तिरुनेलवेली	640	785	1839	शून्य
चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कन्नूर	शून्य	शून्य	130	शून्य

अनुबंध-II

बीड़ी श्रमिकों के लिए एकीकृत आवास योजना के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: श्री बिद्रयुत बरन महतो: श्री सुधीर गुप्ता द्वारा दिनांक 14/9/2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.199 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

(रूपये हजार में)

क्षेत्र-वार	2017-18		2018-19		2019-20 (अदिनांक)		2020-21 (अगस्त, 2020 तक)	
	आवंटित निधि	जारी एवं उपयोग की गई निधि	आवंटित निधि	जारी एवं उपयोग की गई निधि	आवंटित निधि	जारी एवं उपयोग की गई निधि	आवंटित निधि	जारी एवं उपयोग की गई निधि
मुख्यालय	609600							
अहमदाबाद		9127.5	11251	10537.5	6200	शून्य	35375	शून्य
अजमेर		शून्य	60000	32512	40000	39780	52228	शून्य
बैंगलोर		40618	38962	38962	25930	25730	65233	शून्य
भुवनेश्वर		175	17379	17355	8470	3825	2100	शून्य
हैदराबाद		78390	43372	43372	22650	2258	183046	शून्य
जबलपुर		412.5	8775	8775	5130	5130	16643	शून्य
नागपुर		113	53800	42905	20790	19710	114328	शून्य
रांची		73808	87804	88245	70200	55651	28840	शून्य
पटना		863	16388	1571	6500	5880	74810	शून्य
रायपुर		शून्य	7208	7167	7500	3150	105045	शून्य
देहरादून		1201	3728	3727.5	3600	3555	4400	शून्य
कोलकाता		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	शून्य
गुवाहाटी		217832.5	102300	102300	76000	शून्य	1500	शून्य
तिरुनेलवेली		शून्य	40000	36725	20000	6615	76400	शून्य
चंडीगढ़		10100	15000	1920	6600	6480	24720	शून्य
कन्नूर		2737.5	5738	5737.5	2800	2790	38856	शून्य

****